हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज

पत्रावली की - वकील वादी अपी. प्रतिवादी की तरफ से
को बार-2 अवसर दिये गये किसी तरफ से
नहीं करवाई गयी अतः वाद वादी एवं प्रतिवादी
पारित किया जाता है

पत्रावली अभिलेख कार्यालय में
कार्यवाही पश्चात दफ्तर हो